कोविड–19 रोकथाम कार्यवाही
राजस्व विभाग सब कमेटी
दिनांकः 31.03.2020 की रिपोर्ट
समय 12:00 पी.एम.

- कल दिनांक 30 मार्च 2020 तक जनपद स्तर पर 50 जनपदों में कंट्रोल रूम स्थापित हुए थे, आज दिनांक 31 मार्च 2020 की प्रातः तक 58 जनपदों में वीडयो कान्फ्रेन्सिंग सुविधा सहित जनपद स्तरीय कन्ट्रोल रूम की स्थापना हो चुकी है।
- प्रदेश स्तर पर इन्टीग्रेटेड राहत कन्ट्रोल रूम की स्थापना राहत आयुक्त कार्यालय, एनेक्सी भवन, द्वितीय तल में कर ली गयी है। इस कंट्रोल रूम को प्रदेश के सी0एम0 हेल्पलाइन, विभिन्न कार्यालयों, 112 हेल्पलाइन तथा कोविड–19 के संबंध में गठित प्रदेश की 11 सब–कमेटीज के साथ जोड़ा जाने हेतु पॉयलेट टेस्टिंग की जा रही है।
- राहत कंट्रोल रूम में कोविड–19 से संबंधित अब तक 1060 फोन कॉल्स आये हैं। कंट्रोल रूम द्वारा संबंधित नोडल आफीसर्स के साथ कॉलर्स का समन्वय स्थापित कराया गया।
- 30 मार्च 2020 की रात तक 75 जनपदों में कुल 672 आश्रय केन्द्र खुल चुके है। इन आश्रय स्थलों में 8377 लोग रह रहे हैं।
- अस्थाई स्क्रीनिंग कैम्प/आश्रय स्थल में रखे गये लोगों को 14 दिन से पूर्व स्क्रीनिंग/आश्रय स्थल कैम्प से बाहर न जाने दिया जाए तथा आश्रय स्थल में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त भोजन व्यवस्था, पेयजल, साफ शौचालय तथा प्रसाधन, साफ–सफाई, Social Distancing, स्वास्थ्य परीक्षण, पर्याप्त चिकित्सा सुविधा आदि के संबंध में शासनादेश संख्या–207/एक–11–2020, दिनांक 30 मार्च, 2020 के माध्यम से समस्त जनपदों को निर्देश प्रेषित कर दिये गये है। इस शासनादेश के माध्यम से बाहर से गांव पहुचे लोगों को उनके घर में होम क्वारेन्टाइन अथवा पर्याप्त कमरे न होने पर ग्रामसभा में स्थित प्राइमरी स्कूल, बारात घर आदि में 14 दिन क्वारेन्टाइन में रखे जाने तथा निरन्तर स्वास्थ्य परीक्षण कराने व कोरोना के लक्षण पाये जाने पर उन्हें पूर्व से चिन्हित अस्पतालों में इलाज कराने हेतु भर्ती कराने के निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को दे दिये गये है।

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव, राजस्व
विभाग, उ0प्र0 शासन।